

The Reservation for the Scheduled Castes, The Scheduled Tribes, The Other Backward Classes, De-Notified Tribes and Semi-Nomadic Communities in Private Sector Bill, 2024-Introduced

श्री गणेश सिंह (सतना) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि निजी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, विमुक्त जनजातियों और अर्ध-घुमंतू समुदायों के लिए आरक्षण और उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

कि निजी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, विमुक्त जनजातियों और अर्ध-घुमंतू समुदायों के लिए आरक्षण और उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री गणेश सिंह: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ ।
